न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत, उच्चतर न्यायिक सेवा।

J.O. Code – UP1893
स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र–159/2026
कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन नं० 322/2026
(CNR No: UPGZ010044652026)

आकाश.....बनाम.....उ०प्र०सरकार व अन्य

.....

दिनांकः29–07–2026

1– पुकार पर आवेदक की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं है। पिछली तिथि पर भी कोई उपस्थित नहीं था।

3– स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में किए गए तथ्यों के अवलोकन से यह विदित होता है कि यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–03–2026 विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण खण्डित होने योग्य है। प्रार्थी/विपक्षी के विरूद्ध परिवादिनी द्वारा परिवाद सं० 43/2023 ममता बनाम आकाश आदि धारा–12 घरेलू हिंसा अधि० थाना मोदीनगर न्यायालय ग्रामीण न्यायालय मोदीनगर गाजियाबाद में विचाराधीन है। प्रार्थी/विपक्षी के विरूद्ध परिवादिनी द्वारा एक भरण पोषण वाद सं० 307/24 ममता बनाम आकाश अंतर्गत धारा–125 द०प्र०सं० थाना भोजपुर परिवार न्यायालय प्रथम गाजियाबाद में विचाराधीन है। अग्रेतर यह कहा गया कि परिवादिनी ममता द्वारा दायर एक परिवाद सं० 720/2023 धारा–323,504,506 भा०द०सं० थाना भोजपुर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० 08 गाजियाबाद में विचाराधीन है। उपरोक्त वादों में पक्षकार समान हैं परंतु समान पक्षकार होने की वजह से ग्रामीण न्यायालय में जिस दिन तिथि नियत होती है, उसी दिन गाजियाबाद न्यायालय में भी तिथि नियत हो जाती है और प्रार्थी/विपक्षी को न्यायालय में उपस्थित होने में काफी परेशानी होती है तथा वाद के निस्तारण में अनावश्यक विलंब हो रहा है। यह भी कहा गया कि परिवादिनी की ओर से व मूल परिवाद में यह बात शोहरतें आम की हुई है कि हमारी बात जज साहब से हो गयी है, अब स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र हमारे हक में ही तय होगा। निवेदन किया गया है कि उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत् अंतरण प्रार्थना पत्र सं० 548/2025 आकाश बनाम श्रीमती ममता को स्वीकार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद के आदेश दिनांक 18–03–2026 को खण्डित कर परिवाद सं० 43/2023 ममता बनाम आकाश धारा–12 घरेलू हिंसा अधि० को ग्रामीण न्यायालय मोदीनगर से किसी अन्य सक्षम न्यायालय गाजियाबाद में स्थानान्तरित किया जाए।

4– उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में सम्बंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर आक्षेप लगाते हुए यह कहा गया है कि परिवादिनी की ओर से व मूल परिवाद में यह बात शोहरतें आम की हुई है कि हमारी बात जज साहब से हो गयी है, अब स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र हमारे हक में ही तय होगा तथा इस आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरण प्रार्थना पत्र सं० 548/2025 में पारित आदेश दिनांक 18–03–2026 निरस्त कर परिवाद सं० 43/2023 ममता बनाम आकाश धारा–12 घरेलू हिंसा अधि० को ग्रामीण न्यायालय मोदीनगर से किसी अन्य सक्षम न्यायालय गाजियाबाद में स्थानान्तरित किए जाने की याचना की गयी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक की ओर से इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 02–04–2026 को यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र योजित किए जाने के पश्चात् से दिनांक 11–05–2026 से लगभग 06 तिथियों पर कोई उपस्थित नहीं हुआ, बल्कि प्रत्येक तिथि पर स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा आज भी बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.07.29 16:03:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हुआ। आवेदक द्वारा दर्शित कारण कथित मौखिक जानकारी एवं मात्र आशंका पर आधारित हैं, जिनके दृष्टिगत् वाद को अन्यत्र स्थानान्तरित किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

6– स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में किए गए तथ्यों के दृष्टिगत बिना किसी ठोस एवं तथ्यात्मक साक्ष्य के अभाव में स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 29.07.2026